फर्द अहकाम

शंकरलाल बनाम राम सहाय

[न्य]ायालय

[सं]ख्या . 147/2008

[संख्]या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	24/3/25	पत्रावली [illegible] द्वारा आज [illegible] किये जाने के कारण [illegible] नहीं जा सकी। पी0ओ0 [illegible] में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 8/4/25 पेश हो।	
	8/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 22/4/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	22/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. । पत्रावली मे बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु दिनांक ~~20~~ 20/05/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	20/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। व्यस्तता के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 26/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	26/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। बाहद निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, सॉगानेर (द्वितीय) मुकाम सॉगानेर जयपुर व इजलास
पीठासीन अधिकारी का नामः–श्री हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
दावा संख्या : 147/2008
पारित डिक्री दिनांक : 26.05.2025

उनवान

1. शंकरलाल पुत्र स्व० गोपीचन्द, उम्र–24 वर्ष,
2. श्रीमती कंचनदेवी पत्नी स्व0गोपीचंद, उम्र 48 वर्ष,
3. समस्त जाति–बगड़ा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम श्यामपुरा बुहारिया, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र प्रताप (दौराने दावा मृतक)
   1/1. श्रीमति धापूदेवी पत्नी स्व. रामसहाय
   1/2. बाबूलाल पुत्रान स्व. रामसहाय
   1/3. रामप्रसाद
   समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम श्यामपुरा बुहारिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
   1/4. श्रीमति विमलादेवी पुत्री स्व. रामसहाय पत्नि श्री गोपाल, जाति–बागडा ब्राह्मण, निवासी–ग्राम बडी का बास, मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
   1/5. श्रीमति सीतादेवी पुत्री स्व. रामसहाय पत्नि श्री बद्रीनारायण, जाति–बागडा ब्राह्मण, निवासी–ग्राम बडी का बास, मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. प्रताप विधापीठ दयालबाग, श्यामपुरा बुहारिया जरिये मंत्री अजय शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा बागडा ब्राह्मण, निवासी–ग्राम श्यामपुरा बुहारिया, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर (रजिस्ट्रेशन नंबर 554/97–98)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती बेदखली एवं तुडवाये जाने तामीरात एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नंबर 109 रकबा 14 बिस्वा हाल खसरा नंबर 253 रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम श्यामपुरा बुहारिया में गत भू–प्रबंध कार्यवाही में 0.02 हैक्टेयर भूमि अवैधानिक रूप से कम करके प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नंबर 252 व 254 में मर्ज कर दी गयी है। जिसमे से 002 हैक्टेयर भूमि (हजफ) कम कर खसरा नंबर 253 में जोडी जाकर वादीगण को खसरा नंबर 253 रकबा 0.18 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 253 रकबा 0.18 हैक्टेयर ग्राम श्यामपुरा बुहारिया से प्रतिवादीगण को बेदखल कर अर्थात अवैध तामीरात को हटाया (ध्वस्त)

(उपखण्ड अधिकारी)
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जाकर वादीगण को कब्जा भूमि खसरा नंबर 253 रकबा 0.18 हैक्टेयर मौके पर संभलाई जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 253 रकबा 0.18 हैक्टेयर में के वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बेजामजाहमत व मदाखलत न करे न करावे, खुर्द–बुर्द, परिवर्तन व अवैध पुख्ता निर्माण न करे न करावे, बेचान, हस्तान्तरण न करे न करावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.05.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..............................

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)